प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / एच0एम0आई0एस0पी0आई0पी0 / 2015–16 / 03 / 5811-2 दिनाँकः 27 / 09 / 2016

विषयः– ब्लॉक डाटा इन्ट्री आपरेटर की मोबिलिटी सपोर्ट हेतु आवंटित बजट के अन्तर्गत व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2016–17 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एम0सी0टी0एस0 / एच0एम0आई0एस0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया हैः–

"An amount of Rs. 29.52 lacs is sanctioned under Budget Head FMR code B.15.3.1.5.2 for HMIS & MCTS mobility support at Block Level @ Rs. 300 /Month/block for 12 months (FY 2016-2017) . Expenditure should be based on Govt. norms. Block should share the visit plan with the district. TA/DA should be as per extant rules"

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर शत प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु ब्लॉक एम0सी0टी0एस0 आपरेटर के लिए आर0ओ0पी0 2016–17 में रू0 300 प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में शत्प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0 / डी0ए0 (District should share the visit plan with the state. TA/DA should be as per extant rules) हेतु प्राविधानित किया गया है। उपरोक्त मानकानुसार ब्लॉक वैलिडेशन समिति के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपरेटर द्वारा प्रति माह कम मे कम 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / उपकेन्द्रों में विजिट, इस शर्त के अनुसार कि ब्लॉक के अधीन आने वाले समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में कम से कम 01 विजिट सुनिश्चित की जा सके, विजिट के दौरान आपरेटर द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 चेकलिस्ट के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रेषित होने वाले डाटा को उप स्वास्थ्य केंद्रों / प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डाटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर एम0सी0टी0एस0 ट्रैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिंग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिंग करना।
- ऑपरेटर द्वारा स्वास्थ्य केंदों में भ्रमण की रिपोर्ट एवं प्रदेश स्तर से जारी चेक लिस्ट को भरकर ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगें।

उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृति के रूप में ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में ब्लॉक आपरेटर हेतु रु0 300.00 प्रति ब्लॉक प्रति माह की दर से धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

FMR Code: B.15.3.1.5.2 Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level (01.04.2016 to 31.03.2017)

S. No.	District	Total No. of Block MCTS Operator	Approved Budget for Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level @Rs. 300.00/Month/Block PMU for 12 Months	S. No.	District	Total No. of Block MCTS Operator	Approved Budget for Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level @ Rs. 300.00/Month/Block PMU for 12 Months
1	2	3	4= (col. 3)x Rs 300*12 (Months)	1	2	3	4= (col. 3)x Rs 300*12 (Months)
1	Agra	15	54000.00	40	Jaunpur	21	75600.00
2	Aligarh	12	43200.00	41	Jhansi	8	28800.00
3	Allahabad	20	72000.00	42	Kannauj	8	28800.00
4	Ambedkar Nagar	9	32400.00	43	Kanpur Dehat	10	36000.00
5	Amethi	13	46800.00	44	Kanpur Nagar	10	36000.00
6	Amroha	6	21600.00	45	Kasganj	7	25200.00
7	Auraiya	7	25200.00	46	Kaushambi	8	28800.00
8	Azamgarh	22	79200.00	47	Kushi Nagar (Padrauna)	14	50400.00
9	Baghpat	6	21600.00	48	Lakhimpur Kheri	15	54000.00
10	Bahraich	14	50400.00	49	Lalitpur	6	21600.00
11	Ballia	17	61200.00	50	Lucknow*(+3 Block)	8	28800.00
12	Balrampur	9	32400.00	51	Maharajganj	12	43200.00
13	Banda	8	28800.00	52	Mahoba	4	14400.00
14	barabanki	15	54000.00	53	Mainpuri	9	32400.00
15	Bareilly	15	54000.00	54	Mathura	10	36000.00
16	Basti	14	50400.00	55	MAU	9	32400.00
17	Bijnor	11	39600.00	56	Meerut	12	43200.00
18	Budaun	15	54000.00	57	Mirzapur	12	43200.00
19	Bulandshahar	16	57600.00	58	Moradabad	8	28800.00
20	Chandauli	9	32400.00	59	Muzaffar Nagar	9	32400.00
21	Chitrakoot	5	18000.00	60	Pilibhit	7	25200.00
22	Deoria	16	57600.00	61	Pratapgarh	17	61200.00
23	Etah	8	28800.00	62	Raebareli	18	64800.00
24	Etawah	8	28800.00	63	Rampur	6	21600.00
25	Faizabad	11	39600.00	64	Saharanpur	11	39600.00
26	Farukkhabad	7	25200.00	65	Sambhal	8	28800.00
27	Fatehpur	13	46800.00	66	Sant Kabir Nagar	9	32400.00
28	Firozabad	9	32400.00	67	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	21600.00
29	G B Nagar	4	14400.00	68	Shahjahanpur	15	54000.00
30	Ghaziabad	4	14400.00	69	Shamali	5	18000.00
31	Ghazipur	16	57600.00	70	Shrawasti	5	18000.00
32	Gonda	16	57600.00	71	Siddharth Nagar	14	50400.00
33	Gorakhpur	19	68400.00	72	Sitapur	19	68400.00
34	Hamirpur	7	25200.00	73	Sonbhadra	8	28800.00
35	Hapur	4	14400.00	74	Sultanpur	13	46800.00
36	Hardoi	19	68400.00	75	Unnao	16	57600.00
37	Hathras	7	25200.00	76	Varanasi	8	28800.00
38	Jalaun	9	32400.00		**Total**	**820**	**2952000.00**

***पत्रांकः एम.डी.–कैम्प/2014–15/1647 दिनांकः 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र–सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।**

समस्त ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में रू0 300.00 प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0/डी0ए0 हेतु **रू0 29,52,000.00 (रु0 उन्तीस लाख बावन हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये गये समस्त ब्लाक एम0सी0टी0एस0 डेटा–इंट्री ऑपरेटर के टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या **बी15.3.1.5.2** से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें :–

<u>व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः</u>

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किय जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रम में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण करायें साथ ही ससमय सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट ऑडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार ...य सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक:एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एच0एम0आई0एस0पी0–आई0पी0/2015–16/03/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0